भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2696**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

पाटन रोधी शुल्क

2696. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयातित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क पर सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) विभिन्न वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क लगाने से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विभिन्न उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने नियम के तहत पाटनरोधी जांच देश में वस्तुओं के पाटन और उससे घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन-पत्रों के आधार पर आयोजित करता है। पाटनरोधी उपायों का मूल उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को पहुंचने वाली क्षति को दूर करना और घरेलू उद्योग के लिए एक समान व्यापार अवसर सृजित करना है।

(ख) : विगत 4 वर्षों में विभिन्न वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोधित करने से प्राप्त/प्राप्य राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (27 नवम्बर, 2019 तक)
पाटनरोधी शुल्क से प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)	1136.89	1267.62	1307.35	765.37

स्रोत : डीजी सिस्टम्स, राजस्व विभाग (ईडीआई सूचना)

(ग) : डीजीटीआर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर रक्षोपाय जांच करता है। रक्षोपाय जांच करने में डीजीटीआर द्वारा अपनाए गए मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बढ़े हुए आयातों, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती और कथित गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के मध्य कारणात्मक सहसंबंध के प्रमाण इत्यादि शामिल हैं।

****